

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2020—माघ 8, शक 1941

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्र. एफ-35-208-2019-दो-सी-एक्स.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1285 दिनांक 4 मई 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (सी) एवं (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित स्थान घोषित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्रमांक	स्थान	पता	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुर्सीमा
01	इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम सिंदुरिया, तहसील रावटी, जिला रतलाम (म0प्र0)	इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम सिंदुरिया, तहसील रावटी, जिला रतलाम (म0प्र0) (पेट्रोलियम पाईप लाईन)	सर्वे नंबर-35/4 पूर्व — वन विभाग की भूमि। पश्चिम — शासकीय आम रास्ता। उत्तर — वन विभाग की भूमि। दक्षिण — वन विभाग की भूमि।

No.F 35-208-2019-C-X.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of Section 2 (c) (d) of the Official Secrets Act, 1923 (XIX of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs's notification No. S. O. 1285 dated the 4th May 1963, the State Government hereby, declares the places specified in the Schedule below to be prohibited places for the purposes of the said Act:—

SCHEDULE

S.No.	PLACE	LOCATION	DESCRIPTION OF THE BOUNDRIES OF THE PROHIBITED PLACE
01	Indian Oil Corporation Ltd. Village- Sinduriya, Tehsil- Raoti, distt Ratlam (M.P.)	Indian Oil Corporation Ltd. Village- Sinduriya, Tehsil- Raoti, distt Ratlam (M.P.) (Pipe line)	<u>Survey No. 35/4</u> East- Forest land. West- Government Road. North- Forest land. South- Forest land.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उषा परमार, उपसचिव.